न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– उत्पाद अधिहरण वाद सं0–30/2017–18 राज्य वनाम बी0के0 पासवान एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
12.09.2017	*आदेश* पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1698/सी0आर0, दिनांक 10.05.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खगड़िया (गंगौर) थाना कांड संख्या–712/2016 दिनांक 22.12.2016 धारा 30 (ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम–2016 के अन्तर्गत बी0के0 पासवान पे0 सुरेश पासवान, साकिन–खैरी, थाना–गंगौर, जिला–खगड़िया के घर के पीछे झोपड़ी के जमीन को अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि गुप्त सूचना के आधार पर बी0के0 पासवान, पे0–सुरेश पासवान, साकिन–खैरी, थाना–गंगौर, जिला–खगड़िया के घर पर छापामारी के दौरान उसके घर के उसके झोपड़ी से 15–15 लीटर का टीन में आधा फुलाया हुआ महुआ शक्कर आदि का मिश्रण किया हुआ 06 (छः) जप्त किया गया है। उक्त शक्कर थाना के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। उक्त आलोक में थानाध्यक्ष खगड़िया (गंगौर) को आदेश दिया गया कि तत्काल झोपड़ी को ध्वस्त करें तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करें। थानाध्यक्ष, गंगौर के प्रतिवेदनानुसार यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि महुआ शक्कर छतदार पक्का मकान से बरामद किया गया है या झोपड़ी से। इस संबंध में अंचल अधिकारी, खगड़िया से बी0के0 पासवान पे0 सुरेश पासवान, साकिन–खैरी, थाना–गंगौर जिला–खगड़िया के झोपड़ी स्थित जमीन संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गयी। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को विधिवत सूचना निर्गत कर एवं दैनिक समाचार पत्र ''प्रभात खबर'' में दिनांक 10.06.2017 को सूचना प्रकाशित करा कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया तथा डी0बी0 नं0 198/विधि, दिनांक 27.07.2017 से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया को अपने अधिनस्थ थाना के माध्यम से	

तामिला कराने हेतु भेजा गया।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 2169 दिनांक 31.07.2017 से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

अंचल अधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 2443 दिनांक 15.07.2017 से प्रतिवेदित किया गया कि राजस्व कर्मचारी द्वारा स्थलीय जॉच की गयी। स्थलीय जॉच के क्रम में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि झोपड़ी वाली जमीन श्री गुरूचरण महतो, पे0 मसूदन महतो की है, लेकिन झोपड़ी बी0के0 पासवान के द्वारा बनाया गया था, जिसका खेसरा–1171 एवं खाता 248 एवं रकवा 16 वीघा 08 कट्ठा 16 धूर 10 धूरकी है तथा इसका जमाबन्दी गुरूचरण महतो, पे0 स्व0 मसूदन महतो के दादा प्रयाग महतो के नाम से पंजी–2 में दर्ज है।

इस संबंध में डी0बी0 नं0 197/विधि, दिनांक 27.07.2017 से गुरूचरण महतो, पिता–मसूदन महतो, ग्राम–खैरी, थाना–गंगौर, जिला–खगड़िया से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के धारा–58 (3) उपधारा (2) के तहत कारण पृच्छा की मांग की गयी। उनके द्वारा दिनांक 22.08.2017 को कारण पृच्छा दायर किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि उक्त झोपड़ी वाली जमीन बी0के0 पासवान के मकान से पूरी तरह सटा हुआ है और बी0के0 पासवान पिता–सुरेश पासवान ग्राम–खैरी थाना–गंगौर उसे ठीका पर जोतता था। आवेदक को झोपड़ी बनाने की बात की कोई जानकारी नहीं थी और न हीं उसमें शराब निर्माण करने का ही कोई जानकारी था। रानी सकरपुर से खैरी की दूरी लगभग 3–4 कि0मी0 है। आवेदक जीविकोपार्जन हेतु घर से प्रायः बाहर दिल्ली में रहता था। जिससे उसे झोपड़ी बनाने की कोई जानकारी नहीं थी । आवेदक की जमीन खतियानी है जो उसके दादा प्रयाग महतो के नाम से रजिस्टर–2 में दर्ज है। उनका यह भी कहना है कि आवेदन के द्वारा झोपड़ी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है और उसे झोपड़ी से कोई सरोकार नहीं था और न ही है। उनके द्वारा जमीन को इस वाद से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(3)(2) से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी बी0के0 पासवान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु वे जानबुझकर प्रक्रिया को बाधित करने के दृष्टिकोण से सुनवाई के प्रक्रम में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति से

स्पष्ट है कि वे न्यायालय की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर न्यायालय की प्रक्रिया को लम्बा कर अंतिम निर्णय से बचना चाहते हैं। इस स्थिति में विपक्षी को सुनवाई का और अधिक अवसर दिया जाना न्यायहित में नहीं है।

थानाध्यक्ष, गंगौर के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि गुप्त सूचना के आधार पर प्रा0 नामजद अभियुक्त बी0के0 पासवान पे0 सुरेश पासवान, सा0–खैरी थाना–गंगौर, जिला–खगड़िया के घर पर छापामारी की गई तो उसके घर के सटे झोपड़ी से पन्द्रह–पन्द्रह लीटर का टीन में करीब आधा– आधा भरा फुलाया हुआ महुआ शक्कर आदि का मिश्रण किया गया छः टीन जप्त किया गया।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि जप्त सामग्री वाली झोपड़ी को थाना अलौली को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है और जमीन गुरूचरण महतो का है और उसका जोत आवाद बी0के0 पासवान द्वारा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जमीन का अधिहरण किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट है कि कि उक्त जप्त किये गये सामान स्थल झोपड़ी को ध्वस्त करने का आदेश थानाध्यक्ष को दिया जा चुका है और उक्त जमीन श्री गुरूचरण महतो का है जिसका जोत आवाद बी0के0 पासवान के द्वारा किया जा रहा है तथा झोपड़ी भी उसी के द्वारा निर्माण किया गया प्रतिवेदित है। ऐसी स्थिति में जमीन का अधिहरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। अतः उपरोक्त के आलोक में पुलिस अधीक्षक, खगड़िया का अधिहरण प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है तथा इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता,
खगड़िया।

समाहर्ता,
खगड़िया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.

डी0 बी0 नं0 381 /विधि, दिनांक 18/10/2012

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

18/10/12

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि, शाखा
खगड़िया।

18/10/12